इलेक्ट्रानिक्स उपकरण निर्माण के 22 प्रस्ताव मंजूर

इन परियोजनाओं में होगा 41,863 करोड़ रुपये का निवेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत सरकार ने 22 नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 41,863 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे 2,58,152 करोड़ मूल्य का उत्पादन होने की उम्मीद है। इस निवेश से प्रत्यक्ष तौर पर 34,000 नए रोजगार का सृजन होगा।

प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत देश के विभिन्न राज्यों में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। इनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इससे पहले इस योजना के तहत 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट्स के घरेलू निर्माण से इन उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। वहीं इन उत्पादों की वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।

भारत सालाना 28 अरब डालर से अधिक के इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट्स का आयात करता है।

34 हजार प्रत्यक्ष रोजगार का होगा सृजन प्रस्तावित निर्माण परियोजनाओं से

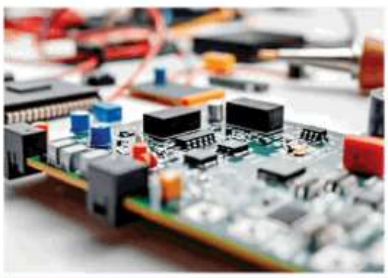

- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लगेंगी उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग इकाई
- मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग, आइटी हार्डवेयर से जुड़े उपकरण इन इकाइयों में बनेंगे

इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) भी शामिल है।

इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय के मुताबिक नए 22 प्रस्ताव की मंजूरी के तहत मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग, टेलीकाम कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स, आइटी हार्डवेयर से जुड़े कंपोनेंट्स भारत में बनाए जाएंगे। घरेलू व विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों को घरेलू स्तर पर इन कंपोनेंट्स के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इनमें टाटा इलेक्ट्रानिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स मोबाइल फोन के निर्माण से जुड़े कैमरा माड्यूल और डिस्प्ले माड्यूल का उत्पादन अब भारत में करेगी। इंडिया सर्किट प्राइवेट लिमिटेड, वाइटल इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिगनम इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बीपीएल लिमिटेड जैसी कंपनियां देश में पीसीबी का निर्माण करेंगी। प्रस्ताव के तहत डिक्सन इलेक्ट्रोकनेक्ट भारत में आप्टिकल ट्रांससिवर का निर्माण करेगी। प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश में एचडी पीसीबी और डिस्प्ले माड्यूल व कैमरा माड्यूल का निर्माण किया जाएगा।

एमएसएमई निर्यातकों को ब्याज पर छूट, बिना गिरवी ले सकेंगे लोन भी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन से जुड़ी निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के तहत सरकार ने नए साल में एमएसएमई निर्यातकों के लिए दो योजनाएं लांच की है। इन दोनों स्कीम का संचालन वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई व वित्त मंत्रालय की देखरेख में होगा।

- एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत दो योजनाओं को मंजूरी
- एमएसएमई निर्यातकों को ब्याज पर 2.75 प्रतिशत तक छूट

पहली योजना के तहत एमएसएमई निर्यातकों को लोन की ब्याज दरों पर 2.75% तक की छूट दी जाएगी। इसके तहत 5,181 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। हालांकि यह छूट सरकार की तरफ से जारी उत्पाद के निर्यात पर ही दी जाएगी। वाणिज्य विभाग के मुताबिक इनकी सूची जारी की जाएगी। अभी यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की जा रही है। रक्षा क्षेत्र के आइटम के एमएसएमई निर्यातकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। स्कीम के मुताबिक निर्यातकों को शिपमेंट के पहले व शिपमेंट के बाद दोनों कर्ज की ब्याज दरों पर छूट दी जाएगी। इसका मकसद निर्यात होने वाली वस्तुओं की निर्माण लागत को कम करना है ताकि वे वैश्विक बाजार में अन्य देशों से मुकाबला कर सके।

दूसरी स्कीम में सरकार एमएसएमई निर्यातकों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज की गारंटी लेगी। माइक्रो और स्माल निर्यातक की श्रेणी में आने वालों के 85 प्रतिशत कर्ज तो मध्यम आकार के निर्यातकों के 65 प्रतिशत कर्ज की गारंटी सरकार लेगी। एक वित्त वर्ष में एक निर्यातक के अधिकतम 10 करोड़ तक के कर्ज की ही सरकार गारंटी लेगी। इसके लिए सरकार ने 2,114 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। इस संबंध में जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएगी।